

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 28 NOV 2017

क्रमांक २७५१ /एफ 29/02/2016/13/2: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01 अप्रैल 2017 से लागू नई विद्युत की दरों से उत्पन्न परिस्थिति में राज्य के स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने को ध्यान में रखते हुए जनहित में राज्य शासन, एतदद्वारा, रियायती पैकेज के तहत 220 केव्ही, 132 केव्ही, 33 केव्ही, 11 केव्ही पर 02 मिलियन टन वार्षिक क्षमता तक के स्टील उत्पादक तथा एच.व्ही.-4 टैरिफ संवर्ग में सम्मिलित अन्य स्टील उद्योग जो, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से बिजली प्राप्त कर रहे हैं, को वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि में खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में 80 पैसे (अक्षरी अस्सी पैसे) प्रति यूनिट की छूट प्रदान करता है।

(५८/२९/१०११)
(एम०एस० रत्नम्)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग

पृष्ठां क्रमांक २७५२ /एफ 29/02/2016/13/2

प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 28 NOV 2017

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी एवं भारसाधक मंत्री, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ०ग० शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छ०ग० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, छ०ग० शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. विशेष सचिव, छ०ग० शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. सचिव, छ०रा० विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर।
8. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग/उत्पादन/पारेषण/वितरण/ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़ शासन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
10. डायरेक्टर, (संचालन संधारण)/(कमर्शियल एण्ड रेग्युलेटरी अफेयर्स), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर लिमिटेड, रायपुर की विभागीय प्रशासन-प्रतार देते।
11. अधिकारी, विभागीय प्रशासन, रायपुर की विभागीय प्रशासन-प्रतार देते।

(५८/२९/१०११)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग